



# पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं

## आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(पूर्व छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)

सेक्टर - 40, नया रायपुर (छ0ग0)

(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

website:- www.cghealthuniv.com

No./F-E-38 /NS-21

/DUHS/EXAM/2023/ 3018

Raipur, Dated 128/03 /2023

### // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा 7 एम.डी.एस. अभ्यर्थियों को अनाधिकृत रूप से दिये गये प्रवेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal Nos. 7611,7612 and 7613/2022 IN WPC 1649/2018, WPC1651/2018, WPC 1650/2018] Dental Council of India V/s Sailendra Sharma & Others के निर्णय अनुसार निरस्त करने उपरांत (1. Sailendra Sharma- [J-2/00059], 2. Shefali Kadam- [J-2/00078], 3. Sanghamitra Ghosh - [J-2/00077], 4. Rajlaxmi Ashok Agrawal - [J-2/00079], 5. Aanchal Pradhan- [J-2/00105], 6. Payal Ramesh Borkar - [J-2/00106], 7. Moumita Khatua ) के विश्वविद्यालय में नामांकन को निरस्त किया जाता है।

कुलसचिव

(स)

No./F-E-38 /NS-21

/DUHS/EXAM/2023/ 3019-24

Raipur, Dated 128/03 /2023

प्रतिलिपि:-

1. मान. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक/उप-कुलसचिव/डी.यू.एच. एस., रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, समस्त संबद्ध दंत चिकित्सा महाविद्यालय, डी.यू.एच.एस., रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. विकास/गोपनीय/आई.टी.(गोपनीय)/परीक्षा/लेखा विभाग, डी.यू.एच.एस., रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. आई.टी. शाखा, विश्वविद्यालय के वेबसाईट में अधिसूचना की प्रति अपलोड करने हेतु।
5. संपादक, स्थानीय समाचार पत्रों को, उपरोक्त अधिसूचना समाचार के रूप में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
6. अधिसूचना की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.cghealthuniv.com का अवलोकन करें।

कुलसचिव

(स)